संख्या 26 / 2015 /1415/ सत्रह-म 2015 6-9 (64)/2015

प्रेषक

रजनीश गुप्ता,
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

1 निदेशक मत्स्य
उ0प्र0 लखनऊ।
2 सम्बंधित समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ दिंनाक 26 अक्टूबर 2015

विषय मछुआ आवासों में सोलर लाइट एवं फैन की स्थापना हेतु कार्यदायी संस्था नामित करने के सम्बंध में।

महोदय

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 378 / नि0शा0 16-22(9) वि0स्वी0- 3 दिनांक 10- 09- 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 64 जनपदों में 647 मछुआ आवासों में सोलर लाइट एवं फैन की स्थापना हेतु यू0पी0 नेडा को कार्यदायी संस्था नामित किया जाता है । मछुआ आवासों में सोलर लाइट एवं फैन की स्थापना की विशिष्टियों के निर्धारण के दिशा-निर्देश ग्राम्य विकास अनुभाग -4 के शासनादेश संख्या –2050/38 -4-13-05 (बजट)/2012 दिनांक 01 नवम्बर 2013 (संलग्नक) में दी गयी व्यवस्थानुसार लोहिया आवासों की भॉति मछुआ आवसों पर यथावत लागू होगें ।

कृपया तदनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त ।

भवदीय

(रजनीश गुप्ता)
प्रमुख सचिव।

संख्या 26 /2015/ 1415 (1)/ सत्रह- म- 2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ् एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 प्रमुख सचिव, वित्त उ0प्र0 शासन ।
2 स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन।
3 स्टाफ आफिसर कृषि उत्पादन आयुक्त उ0प्र0 शासन।
4 निदेशक उ0प्र0नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, विभूति खण्ड गोमतीनगर लखनऊ
5 - गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(लाल धीरेन्द्र राव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasnadesh.up.nic.com

संख्या / 2050 / 38-4-13-05(बजट) /2012

प्रेषक

अरूण सिंघल,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

1 समस्त मण्डलायुक्त /जिलाधिकारी,
उ0प्र0 ।
2 समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।
3 आयुक्त
ग्राम्य विकास
उ0प्र0लखनऊ ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक 01 नवम्बर 2013

विषय लोहिया ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत दिशा-निर्देशों में संशोधन के सम्बंध में।

महोदय

लोहिया ग्रामीण आवास योजना के कार्यान्वयन हेतु दिशा-निर्देश विषयक निर्गत शासनादेश संख्या – 107/38-4-2013-05(बजट)/2012 दिनांक 20 फरवरी 2013 के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोहिया ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत आवासों के निर्माण की पुनरीक्षित लागत आवासों में सोलर पावर पैक, एल0ई0डी0 लाइटस तथा डी0सी0 फैन आदि की आपूर्ति व स्थापना हेतु विशिष्टयॉं निर्धारण तथा सामान्य एवं एस0सी0पी0 के लिए धनराशि के अनुपात के पुननिर्धारण के सम्बंध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित किया जाय –

2- (क) लोहिया ग्रामीण आवास की पुनरीक्षित लागत तथा लक्ष्य निर्धारण –

(1) वर्ष 2013 से लागू लोक निर्माण विभाग के शिडयूल आफ रेट के अनुसार निर्माण की लागत में वृधि को देखते हुए प्रति आवास शासकीय सहायता रूपये 01 लाख से बढाकर रूपये 01लाख 30 हजार होगी तथा रूपये 25000 लाभार्थी अंश होगा । वर्ष 2012 -13 एवं 2013-14 के लोहिया आवासों के लिए उपलब्ध बजट की सीमा के अन्तर्गत रहते हुए निर्मित किये जाने वाले आवासों की सख्या को तदनुसार समायोजित कर दिया जायेगा । आवासों में सोलर लाइट के साथ पंखा भी लगाया जायेगा । सोलर लाइट एल0ई0डी0 होगी व मोबाइल चार्ज करने के लिए एक प्वाइंट भी दिया जायेगा । इस हेतु लागत पूर्व में स्वीकृत रूपये 15000 की सीमा बढाकर रूपये 30000 तक की जाती है । अत: लोहिया ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत प्रति इकाई आवास की कुल लागत रूपये 1,85,000 होगी, जिसमें रूपये 1,60,000 शासकीय अंश होगा ।

(2) वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्राविधानित बजट रू0 620.00 करोड में से सामान्य मद में रू0 25.00 करोड की धनराशि आरक्षित की गयी है और निर्मित होने वाले आवासों की संख्या का आगणन शेष धनराशि के आधार पर किया जायेगा ।

(ख) लोहिया ग्रामीण आवास में सोलर लाइट एवं फैन की विशिष्टयों तथा कार्यदायी संस्थाओं का निर्धारण करते हुए उनके मध्य कार्य का बटवॉरा –

लोहिया आवास में सोलर माडयूल, डी0सी0 लाइटस एवं फैन आदि की विशिष्टियॉं निम्नानुसार निर्धारित की जाती है –

(1) प्रत्येक आवास में 03 वॉट के दो ल्यूमेनियर, जो कम से कम 210 ल्यूमेन के हो ।
(2) इसके साथ प्रत्येक आवास में 05 वॉट का एक ल्यूमेनियर जो कम से कम 400 ल्यूमेन का हो ।
(3) ब्रशलेस डी0सी0 मोटर वाला सीलिंग फैन 1200 एम0एम0 (48इंच) न्यूनतम 25 वॉट का जिसकी एयर डिलीवरी न्यूतम 150 क्यूबिक मीटर पर मिनट हो ।
(4) मोबाइल फोन चार्ज करने के लिए एक प्लग प्वाइंट।
(5) सोलर पैनल एवं बैटरी जिससे लाइट एवं पंखा एक साथ कम से कम 8 घंटे लागतार चल सके (सामान्यतया इसका आशय 120 वॉट का सोलर पैनल और 100-120 एम्पीयर घंटे की बैटरी होगी)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

वित्तीय वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के आय- व्ययक के व्यवस्थानुसार बडी संख्या में निर्मित होने वाले लोहिया ग्रामीण आवासों के लिए सोलर लाइट व फैन तथा उनकी स्थापना का कार्य नियत समय में मात्र नेडा के माध्यम से हो पाना दुष्कर प्रतीत होता है । अत: निर्णय लिया गया है कि लोहिया आवासों में सोलर लाइट व फैन से सम्बंधित कार्य आधे- आधे प्रदेश में नेडा तथा आर0ई0आई0एल0 (राजस्थान इलेक्टिक एवं इन्स्ट्रूमेन्टस लि0) से आपूर्ति व स्थापना का कार्य कराया जायेगा ।

(ग) लोहिया आवास ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत जारी निर्देशिका के अनुसार सामान्य एवं एस0सी0पी0 के लिए धनराशि के अनुपात का पुनर्निर्धारण –

लोहिया आवास योजना की गाइड लाइन्स के अनुसार बजट की 76.5 प्रतिशत धनराशि सामान्य के लिए तथा 23.5 प्रतिशत एस0सी0पी0 के लिए व्यय करने का अनुपात निर्धारित है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में सामान्य के लिए 360.00 करोड तथा एस0सी0 पी0 के लिए रूपये 260.00 करोड का प्राविधान उपलब्ध है । इस प्रकार कुल रू0 620.00 करोड की व्यवस्था है । उक्त रू0 620.00 करोड में से एस0सी0पी0 के लिए उपलब्ध रूपये 260.00 करोड की धनराशि अर्थात कुल धनराशि का लगभग 42 प्रतिशत है, जबकि गाइड लाइन्स के अनुसार यह धनराशि 23.5 प्रतिशत ही होनी चाहिए । अत: एस0सी0पी0 मद में वर्ष 2013-14 के लिए उपर्युक्तानुसार प्राविधानित धनराशि रूपये 260.00 करोड तथा सामान्य मद के लिए प्राविधानित धनराशि रूपये 360.00 करोड के अनुसार ही व्यय किया जायेगा ।

कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(अरूण सिंघल)
प्रमुख सचिव

संख्या 2050 (1) / 38-4-13-05 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1 प्रमुख सचिव मा0 मुख्य मंत्री जी उ0प्र0 ।
2 प्रमुख सचिव नियोजन /वित्त/ समाज कल्याण / वैकल्पिक ऊर्जा /समग्र ग्राम्य विकास विभाग उ0प्र0 शासन
3 समस्त परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उ0प्र0 ।
4 निदेशक उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास प्राधिकरण, गोमतीनगर लखनऊ ।
5 स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव/ कृषि उत्पादन आयुक्त उ0प्र0 शासन ।
6 निदेशक पंचायतीराज उ0प्र0 ।
7 समस्त संयुक्त विकास आयुक्त उ0प्र0 ।
8 समस्त जिलाविकास अधिकारी /जिला पंचायतराज अधिकारी उ0प्र0 ।
9 निदेशक सूचना विभाग उ0प्र0 ।
10 वित्त (व्यय –नियत्रंण) अनुभाग – 2/3
11 बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण अनुभाग ।
12 एन0आई0सी0 योजना भवन लखनऊ ।
13 गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(सुभाष चन्द्र त्रिवेदी)
विशेष सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasnadesh.up.nic.com